


छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 5259/4212/2017/तक.शि./42,

नया रायपुर, दिनांक 3/10/2017

प्रति

1. संचालक,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. संचालक,
रोजगार एवं प्रशिक्षण,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. संचालक,
छ.ग.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, रायपुर।
4. महानिदेशक,
छ.ग.रिजनल साइंस सेंटर सोसायटी,
रायपुर।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छ.ग.राज्य कौशल विकास प्राधिकरण/
लाईवलीहुड कॉलेज परियोजना,
रायपुर।
6. नियंत्रक,
छ.ग.व्यावसायिक परीक्षा मंडल,
नया रायपुर।



विषय :- भारतीय झंडा संहिता 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन के संबंध में।

—0—

विषयान्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ.10-1/2002/1/5, दिनांक 18.08.2017 एवं सहपत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया पत्र में निर्देशानुसार भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(नीलकंठ टीकाम)

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा

एवं रोजगार विभाग

Handwritten signature and text in blue ink, including the name 'नीलकंठ टीकाम' and some illegible scribbles.

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::

पंजी क्रमांक. 42/1/2017-2016
कौ.वि.तक.शि.रो.वि.एवं वि.प्रौ./42
दिनांक. 07.9.017 2016

महानदी भवन, नया रायपुर, 492002

क्रमांक एफ 10-1/2002/1/5
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त, 2017

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ0ग0 बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन-के संबंध में ।

-00-

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पब्लिक अनुभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-1 से प्राप्त पत्र संख्या 15/2/2017-पब्लिक, दिनांक 02.08.2017 एवं भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है, कि उपरोक्त अधिनियम/संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार ।

(मेरी खेस)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त, 2017

पृ. क्रमांक एफ 10-1/2002/1/5
प्रतिलिपि:-

श्री वी.के.राजन, उप सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पब्लिक अनुभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-1 को उनके प्राप्त पत्र संख्या 15/2/2017-पब्लिक, दिनांक 02.08.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग